संख्या-60/2025/I/855160/2025/23-11099(099)/93/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 18-01-2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 6.50 किमी0) पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का पुनः आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4529 बी0जी0/7बी-तह0ब्लाकमु0 चालू कार्य/2023-24, दिनांक 08-08-2024, पत्र संख्या-6007बी0जी0/7बी-लैप्स/2023-24, दिनांक 15-10-2024 एवं पत्र संख्या-810बी0जी0जी0/7बी-लैप्स डिमांड/2023-24, दिनांक 04-12-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 01 कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र), जो समयान्तर्गत कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी, को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुनः अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	वर्ष 2022-23 में लैप्स धनराशि का विवरण			वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः अवमुक्त धनराशि की फांट		
				शा0स0 व दि0	अवमुक्त धनराशि	लैप्स धनराशि	अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा0ख0 आगरा	जनपद आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 6.50 किमी0)	3202.07	95/2023/582ई/23-11-2023/006-1-2-122-2020 टीसी, दिनांक 19-03-2023	250.00	250.00	196.98	53.02	250.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(3) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेशो की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रू0 1,96,98,000 (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 53,02,000 (रूपये तिरपन लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।